संख्या-175/2026/39-4-2026/001-02-10-05-2010

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान,

लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक मार्च, 2026

विषयः- उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4/बी-53/1977(iii) दिनांक 02.12.2025 एवं वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4/बी-260/2024 दिनांक 27.10.2024 व अपर निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-स0अ0/अनु-4-बी-53/1977(iii) दिनांक 13.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-82 हेतु लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण के अन्तर्गत 0305-सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी के लिए मानक मद संख्या-60-भूमि क्रय में उपलब्ध बचत की धनराशि में से आवश्यकतानुसार मानक मद 0303-सतर्कता अधिष्ठान, बरेली के लिए मानक मद संख्या-60-भूमि क्रय में कुल रु0 2,01,84,000/-(रुपये दो करोड़ एक लाख चौरासी हजार मात्र) का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली के कार्यालय भवन व थाना निर्माण हेतु बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के रामगंगा नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर-10, सरयू इन्क्लेव में स्थित भू-खण्ड संख्या-4 क्षेत्रफल 1493 वर्गमीटर की भूमि के क्रय हेतु रुपये 7,72,65,233/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-494/2025/39-4-2025/001-10-05-2010 दिनांक 21.07.2025 को पुनरीक्षित करते हुए पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली के कार्यालय भवन निर्माण प्रयोजन हेतु उपरोक्त भूमि क्रय पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में आने वाले कुल वास्तविक व्यय रु0 8,97,84,000.00 की संशोधित

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में रू0 201.84 लाख (रुपये दो करोड़ एक लाख चौरासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल आदेश प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान मानक के अनुसार भूमि क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान उत्तरदायी होगा।

(2) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(3) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का होगा।

(4) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(5) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से उक्त धनराशि पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय पृथक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा सुसंगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में रखी जायेगी। निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर ही वास्तविक आवश्यकता पर धनराशि राजकोष से आहरित की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम दिवस तक (31.03.2026) स्वीकृत धनराशि का उपयोग न होने पर धनराशि समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) शासनादेश संख्या-494/2025/39-4-2025/001-10-05-2010 दिनांक 21.07.2025 द्वारा निर्धारित शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,01,84,000 (रुपये दो करोड़ एक लाख चौरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 082 **लेखा शीर्षक** 4059010510303 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-12-711-X-2025-26, दिनांक: 29.03.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Digitally signed by Raj Kumar Singh
Date: 30-03-2026 18:58:59

संख्या-175(1)/2026/39-4-2026/001-02-10-05-2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (ऑडिट) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, बरेली।
3. कोषाधिकारी, बरेली।
4. संबंधित वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान।
5. संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली।
6. पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, बरेली सेक्टर, बरेली।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-12
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
10. आदेश-पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राज कुमार सिंह)
अनु सचिव।